सीसीटीएनएस / महत्वपूर्ण / द्वारा ई–मेल

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग लखनऊ -226001

पत्रांक-टीएस-सीसीटीएनएस-06/2010(V)   दिनांकः २५–०५–2015

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
जनपदीय पुलिस प्रभारी उत्तर प्रदेश।

विषयः— कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर में मुकदमा अपराध संख्या (प्रकरण अपराध संख्या) दर्ज करने के सम्बन्ध में।

———

कृपया सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर पर दर्ज की जा रहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय कुछ थानों पर प्रकरण अपराध संख्या अंकित की जा रही है तथा कुछ थानों पर प्रकरण अपराध संख्या अंकित न कर चिक संख्या दर्ज की जा रही है।

2— उपर्युक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सर्व सम्बन्धित थाना प्रभारियों को अवगत करा दें कि सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर में आन लाइन / आफ लाइन एफ0आई0आर0 दर्ज करते समय चिक संख्या न अंकित कर मुकदमा अपराध संख्या ही दर्ज किया जाए। साथ ही साथ एम0वी0 एक्ट को छोड़कर समस्त चालानी निरोधात्मक कार्यवाही को भी कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर में सम्मिलित किया जाए।

२५/५/१५
(आर0के0विश्वकर्मा)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें,उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि आप जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को सूचित कराकर अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4— श्री जफर रिजवी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनआईआईटी।
5— श्री राजीव वशिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसपीएमयू।
6— प्रभारी सीसीटीएनएस कन्ट्रोल रूम, जवाहर भवन, लखनऊ।
7— समस्त क्षेत्राधिकारी / प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।